

NOTICE – GENERAL

(Ref: SRMU/RO/N.G./03/2018-19/59, 21st May, 2019)

REGARDING ACCOUNTS OPENING IN POST OFFICE

FOR SCHOLARSHIP/FEE REIMBURSEMENT (SESSION: 2019-20)

According to Social Welfare Department Letter No. C-324/स0क0/ छात्रवृत्ति/2019-20 दिनांक 17 मई, 2019, this is to apprise that those students who have no bank account or unable to open bank account due to any issue, may open their account in **Post Office, Barabanki related to India Post Payment Bank (IPPB)** for availing the benefits of Scholarship/Fee Reimbursement.

Akanksha
21/05/19

Dr. Akanksha Nigam
Dy. Registrar (Academics)

Distribution: List 'B' to 'D' All

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
बाराबंकी।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बाराबंकी।

पत्रांक : C-224/स0क0/छात्रवृत्ति/2019-20

दिनांक: 17 मई, 2019

विषय :- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में डी0बी0टी0 से आच्छादित योजनाओं हेतु इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक (IPPB) के खाते का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-सी-61 दिनांक 08.05.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्किल शाखा प्रबन्धक इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक, लखनऊ द्वारा निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के प्रत्यक्ष लाभानान्तरण योजना (DBT) के सम्बन्ध में (IPPB) बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं व सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से डी0बी0टी0 से आच्छादित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नवीन प्रवेशित छात्राओं के बैंक खाते न होने की स्थिति में इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक से सम्बन्धित समस्त डाकघरों में खाते खुलवाने हेतु अपने स्तर से समस्त शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(ललिता यादव)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
बाराबंकी।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक, बाराबंकी।
3. प्रधानाचार्य/प्राचार्य/निदेशक/नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति) समस्त शिक्षण संस्थायें जनपद बाराबंकी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
बाराबंकी।